कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक /3127/कोरोना सेल/2020 रायगढ, दिनांक 09/04/2020

प्रति,

सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सर्व तहसीलदार–जिला रायगढ़

विषय :– नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 के संकमण से बचाव के संबंध में।

संदर्भ :– राहत आयुक्त /सचिव छ.ग. शासन ,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र कमांक आपका पत्र कमांक 1–39/राजस्व/राहत/COVID-19/2020, नवा रायपुर दिनांक 09.04.2020

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। संदर्भित पत्र में बेघर–वार व्यक्तिओं तथा प्रवासी श्रमिकों को राहत शिविर स्थापित कर, प्रभावितों को अस्थााई आश्रय, भोजन, कपड़े, शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों से नियमित अंतराल के प्रश्चात शिविरों का निरीक्षण कराये जाने तथा प्रवासी श्रमिकों एवं बेघर व्यक्तियों को कोविड–19 के संक्रमण से बचाने के लिये न्यूनतम 01 मीटर की दूरी बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बारंबार निर्देशित किया जावे तथा शिविरों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन एवं अन्य संसाधन की गुणवत्ता सही रखी जाये तथा नियमित चिकित्सा जांच करायी जाये। संचालित शिविरों का एकाध फोटोग्राफ भी सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

तद्नुसार दिशा–निर्देश के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

9 APR 2020

आवश्यक

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक एफ 1–39 / राजस्व / राहत / 2020 रायपुर, दिनांक 9 / 04 / 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर / अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ ।

विषयः—नोवेल कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में।
संदर्भः—इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.03.2020

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। भारत सरकार , गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस कोविड–19 के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में प्रभावित बेघरवार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों को राहत शिविर स्थापित कर, प्रभावितों को अस्थाई आश्रय, भोजन, कपड़े, शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2/ उक्त संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्व अधिकारियों से नियमित अंतराल के पश्चात् शिविरों का निरीक्षण कराया जावे तथा प्रवासी श्रमिको एवं बेघर व्यक्तियों को कोविड–19 के संक्रमण से बचाने के लिए न्यूनतम 1 मीटर की दूरी बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बारम्बार निर्देशित किया जावे।

3/ शिविरों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन एवं अन्य संसाधनों की गुणवत्ता सही रखी जाए तथा नियमित चिकित्सा जांच करायी जावे।

897
9/4/20

4/ जिलों में संचालित शिविरों का एकाध फोटोग्राफ भी अभिलेख हेतु सुरक्षित रखा जाए।

अतः कृपया पूर्व में जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार को राहत शिविरों के संबंध में भेजी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से प्रतिदिन 5.00 बजे तक इस विभाग के ई–मेल आईडी cgrelief@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
राहत आयुक्त / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1–39/राजस्व/राहत/2020 रायपुर, दिनांक 9/04/2020

प्रतिलिपि,

संभागीय आयुक्त रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ जिले के भ्रमण के दौरान कोविड–19 के बचाव हेतु संचालित राहत शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जावे।

R. Shamikh 7/4

राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग